श्री राजनारायण : मैं चाहता हूं कि भविष्य की पीढ़ी इस बात को स्मरण रखे और इस सदन की साधु, सभ्य परम्परा आगे कायम रहे। इसलिए आज एक ऐसे विधेयक को बीच में रोककर जिस पर 4-5 आदमी बोल चुके हैं अन्य बातों को चलाने की चेयर ने जिस ढंग से इस सरकार को आज्ञा प्रदान की है उसके विरोध में मैं इस सदन से वाक-आउट करता हूं।

(इसके बाद माननीय सदस्य श्री राजनारायण सभा से बाहर चले गए)

SHRI BHUPESH GUPTA : My freind, Mr. Rajnarain, has got some other job and he wants to go. Otherwise he would not walk out.

AN HON. MEMBER · He must be having some other work.

SHRI BHUPESH GUPTA : Don't say anything he will come back again.

THE MANIPUR (HILL AREAS) DISTRICT COUNCILS BILL, 1971

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS/**गृह मंत्रालय में उपमंत्री** (SHRI F. H. MOHSIN) : Sir I beg to move :

> "That the Bill to provide for the establishment of District Councils in the Hill Areas in the Union territories of Manipur, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, this measure which seeks ..

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : The front bench is absolutely vacant. You must step into their shoes. The moment you get a chance you should step into the shoes of your seniors.

SHRI F. H. MOHSIN : Even from the rear...

SHRI BHUPESH GUPTA : I am sitting here always. But for you it is something, as you know.

SHRI F. H. MOHSIN : Sir, this is a measure which seeks to provide for the establishment of local bodies in the form of District Councils in the hill areas of Manipur. As the House is aware nine-tenths of Manipur is hilly area inhabited by Scheduled Tribe people and only one-third of the area is valley which is inhabited by non-tribal people. This Bill intends to provide for the establishment of District Councils so that the people in the tribal area can participate in the development of that area. Before explaining the provisions of this Bill I may briefly state the circumstances in which the reorganisation of the North Eastern region was contemplated by this Government. This matter was engaging the attention of the Government since a long time and the Government is bringing in another measure providing for the reorgnisation of Assam. The Bill is already introduced in the other House and is under consideration today. It is on the agenda paper. The Bill provides for conferring statehood on Manipur and Tripura and the reorganisation of Assam by conferring statehood on the present autonomous State of Meghalaya making NEFA and the Mizo Hills District Union Territories. While examining this question we went into the problem of providing a co-ordinated approach to the development of security of the region and also to the special problems of the individual units which would emerge. To give effect to the conclusions reached we intend to bring forward a number of measures and this Bill is a step in that direction.

Sir, as I have already stated, the North-Eastern Areas Reorganization Bill, which will be the next one, has already been introduced in the other House. This will be followed by a Constitution (Amendment) Bill and a Bill to amend the Government of Union Territories Act to provide for a Legislature for the Union territory of Mizoram, and certain other matters. A separate Bill will deal with the question of securing a co-ordinated approach to the development of the security of the region as a whole.

Sir, as provided in this Bill the Hill Areas will be divided into autonomous districts and a District Council will be constituted for each autonomous district. The elections to the District Councils would be on the basis of adult franchise lines. The District Councils would be on the lines of the former Territorial Councils

[Shri F. H. Monsin.]

with adequate executive powers. The District Council will have power to levy and collect taxes also, and fees like taxes on professions, trades, callings and school fees. These Councils would also be competent to recommend legislation relating to matters like appointment or succession of Chiefs, inheritance of property and social customs in so far as they concern the members of the Scheduled Tribes. So it is with these intentions that the Bill has been brought before the House. I commend this for the consideration of this House.

The question was proposed.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : श्रीमन्, मंत्री जी ने यह डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का जो बिल रखा है, ऐसा मालूम पड़ता है कि यह इस समय अत्यन्त आवश्यक है। मणिपुर के चारों तरफ हम एक विशेष स्थिति में है इसके कारण जल्दी में यह बिल लाया गया है। हमारा ऐसा ख्याल है कि इस प्रकार का बिल अब से बहुत पहले ही यहां पर आ जाना चाहिए था। जब कभी इन प्रान्तों के इन हिस्सों में वहां की जनता कोई उपद्रव करती है और अपनी कुछ मांगे रखती है तो सरकार उस पर पहले तो चुप्पी साधे रहती है और बहुत दिनों तक वह बराबर उसको टालती रहती है और जब वहां की स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाती है और जब वहां की स्थिति बिगड़ने लगती है तब सरकार की नींद खुलती है और सरकार उसके समाधान के लिए कोई बात सोचती है। इस बिल में ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार असमंजस में पड़ गयी है और वह असमंजस यह है कि सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर को इतने अधिक अधिकार दे दिये हैं कि वहां की जनता शायद ही एडमिनिस्ट्रेटर को इतने अधिक अधिकार देना स्वीकार करे। तीन, चार बातें हमें इस संबंध में ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि मणिपुर का इलाका स्वयं ही भारत से अलग-थलग सा पड़ा हुआ सीमावर्तीय इलाका है और दूसरी बात यह है कि उस इलाके में जिसके विषय में हम यह विधान ला रहे हैं, वह एक पहाड़ी इलाका है, और तीसरी बात यह है कि इस पहाड़ी के आस पास के प्रदेश के लोग, आसाम के और मीजो प्रदेश के लोग उनको भड़काने की बात कर सकते है। इन कठिनाइयों को सामने रखते हुए इस बिल में ऐसी बातों का समावेश किया जाना चाहिए था जो वहां की इन आदि जातियों के लिए या वहां के वनवासियों के लिए जो विधान है उसमें फिट बैठतीं। उदाहरण के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर को रखा है और एडमिनिस्ट्रेटर को रखने के बाद इसके द्वारा वहां पर सारे कार्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था की है। उदाहरण के लिए मैं निवेदन करूंगा कि यहां पर स्कूल है। तो स्कूल के सम्बन्ध में आपने यह व्यवस्था रखी है कि प्राइमरी स्कूल की देख-रेख, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की देख-रेख जो है उसके ऊपर यह विचार करेगी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मणिपुर एक प्रगतिशील राज्य हैं और वहां पर दूसरे राज्य बराबर लगे हुये है तो आपने यह व्यवस्था क्यों नहीं की कि हायर सेकेंडरी की शिक्षा तक के लिये वहां पर उन लोगों को अधिकार दिया जाय, कौंसिलरों को अधिकार दिया जाय और इसके बारे में भी एडमिनिस्ट्रेटर को अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो जहां तक अधिकार देने का प्रश्न है कौंसिलरों को वह केवल प्राइमरी स्कूलों तक का देगा। इसी तरह से आपने डिसपेंसरीज के बारे में बताया है परंतु वहां प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स वहां पर कौंसिलरों के अधिकार में दिया है लेकिन हमारा कहना है कि उनको यह भी अधिकार दे दिया जाना चाहिये था कि वहां जो डाक्टर्स है उनका वह अपनी इच्छानुसार तबादिला भी करना चाहें तो कर सकें और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर साहब को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। कौंसिलर्स को यह अधिकार दे देते तो कोई गल्ती नहीं होती।

तीसरी, इसमें एक और मजेदार बात है कि जिस किसी पुल या जहां किसी सड़क या जहां किसी बिल्डिंग की मरम्मत कराने के लिये या बनाने के लिये एडमिनिस्ट्रेटर साहब उचित समझेंगे कि यह काम कौंसिल करे वही वह कर सकती है और कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। वहां

पर यदि डिस्ट्रिक्ट कौसिल यह तय करती है कि हमको फलां रोड बनानी है या यह जो एक छोटा सा पुल है उसका बनाना अत्यन्त आवश्यक है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कहते है कि आप नही कर सकते कोई दूसरा कर सकेगा तो फिर वहां डिस्ट्रिक्ट कौसिल और एडमिनिस्ट्रेटर मे संघर्ष उत्पन्न होगा और इस संघर्ष की स्थिति मे एडमिनिस्ट्रेटर जो कहेगा वही होगा और डिस्ट्रिक्ट कौसिल को उसके लिये कोई अधिकार नही रहेगा। श्रीमन्, आज नही, कम से कम दस वर्ष पहले कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था और उस प्रस्ताव मे यह बताया गया था कि पंचायतो के लिए अधिक से अधिक अधिकार दिये जायें और उस प्रस्ताव में यह भी था कि धीरे धीरे क्रमश: उनके हाथ में न केवल अस्पताल या शिक्षा संस्थाये हों बल्कि उनके हाथ मे बडे वडे काम, मेजर वर्कस् भी हों और जैसे कि तबादले की बात है या पुलिस की चौकियों के इतजाम की बात है, पुलिस के थानेदारो के इतजाम की बात है, यह सब उनको दे दिया जाय। हम समझते थे कि डिस्ट्रिक्ट कौसिल जो कि एक अच्छी कौसिल के रूप में यहां प्रतिष्ठापित की गई है उसके हाथ में अगर यह सब अधिकार दे दिया जाता तो जो कांग्रेस कमेटी का पुराना रेजोल्युशन था वह अपने आप चरितार्थ हो जाता और वहा पर उन लागो को किसी प्रकार की शिकायत नही होती लेकिन ऐसा नही किया गया।

श्रीमन्, इसी के साथ बिल मे एक सेक्शन है कि कौन कौन व्यक्ति किस किस प्रकार से चुने जायेगे और यह कि कौसिल मे 18 आदमी तक चुन करके और 2 नामिनेट करके भेजे जायेग अर्थात् एक डिस्ट्रिक्ट कौसिल मे कुल 20 आदमी रहेंगे, ऐसा प्रावधान इस बिल में रखा गया है। अब डिस्ट्रिक्ट कौसिल का एक क्षेत्र तो बहुत बड़ा है और दूसरा क्षेत्र बहुत छोटा है तो भौगोलिक कारणो से जो क्षेत्र बड़ा है उसके लिये यह आवश्यक नही होना चाहिये था कि 20 से ज्यादा मेम्बर्स नही हो सके वहां पर आवश्यकता के अनुसार वहां की विशेष जातियो मे से नुमाइंदिगी के रूप में 20 से लेकर 24 या 30 मेम्बर्स तक हों सकते थे तो इसमें किसी प्रकार का हर्ज नहीं था। इसमे कानून के आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेटर का हाथ बांध दिया गया है वह भी गलत है, उसको यह अधिकार देना चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेटर यदि चाहे तो अपने विवेक और डिसक्रिशन पर ज्यादा आदमियो को भी नियुक्त कर सकता है लेकिन इस तरह का कोई अधिकार यहां पर नही दिया गया है।

अब इसके बाद जो दो प्रकार के टैक्स वह लगायेगी उन टैक्सो के बारे में अपील करने का जो अधिकार है वह भी एडमिनिस्ट्रेटर साहब के इच्छा के अनुसार रखा गया है इसमें यह धारा 39 है। धारा 39 में बताया गया है :

"In matters connected with the assessment and collection of any tax, or fee levied under this Act, an appeal shall lie from the order of any person authorised to make assessment or collections to such person as the Administrator may appoint or designate for the purpose."

तो इसमे यह है कि अगर कहीं पर शुल्क लगाया गया या प्रतिभार लगाया गया उसके बारे मे अपील किसको करेगे यह भी एडमिनिस्ट्रेटर तय करेगा कि अपील किसको की जायगी। इस तरह मे कह सकते है कि कुछ अधिकार अगर किसी दूसरे को दिया गया है तो एग्जीक्युटिव मशीनरी ने फिर वही अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। चाहिये यह था कि अपील करने का जितना भी अधिकार है वह या तो डिस्ट्रिक्ट जज को देते या हाई कोर्ट को देते या और

12 Noon.

किसी बाडी को देते लेकिन वह बाडी जुडीशियल नेचर की होनी चाहिये थी। यहा पर एडमिनिस्ट्रेटर जिसको चाहेगा उसको ही यह डिस्ट्रिक्ट कौसिल अपील कर सकती है या इसके जितने भी मेम्बर है, अपील कर सकते हैं। यह बिलकुल गलत बात है और इस तरह वहा पर जुडीशियरी को अलग रखने की

[श्री निरंजन वर्मा]

जो प्रथा है वह अपने आप मे गलत समझी गई, ऐसा मालूम पडता है। इसका कोई स्पष्ट कारण भी नही बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेटर को इतने व्यापक अधिकार क्यों दिए गए है। जब कोई अपील होती है तो निश्चित रूप से वह जुडीशल अथारिटी को ही जानी चाहिए और उसका निर्णय ही लोगों को मान्य होता है। एक्जीक्युटिव्ह अथारिटी का निर्णय जनता बहुत करके पसन्द भी नहीं करती और न चाहती है।

इसी प्रकार, श्रीमन्, इसके आठवे चैप्टर मे धाराएं 51, 52 और 53 भी डिफेक्टिव्ह है। इसमें जो बाई-लाज़ बनाने के बारे मे और रूल बनाने के बारे मे है, उन अधिकारों में भी बहुत कम अधिकार वहा कौसिलों को दिए गए है, अधिकांश मे, इसमे एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने अधिकार बहुत ज्यादा रखे है और ऐसा मालूम पडता है कि शासन का मस्तिष्क, इस समय यहा जो बिल लाया गया है, इस समय वहा की एक विशेष परिस्थिति की तरफ है और वह परिस्थिति शायद वहां की जितनी पहाड़ी इलाके की रहने वाली जनता है उनको एक दम अधिकार न दे दिए जाए ताकि उन अधिकारो के कारण वह प्रदेश कभी हमसे बगावत कर सके। लेकिन हमारा खयाल है कि किन्ही विशेष जातियों के अधिकारो पर, जिन अधिकारों को अच्छी तरह भोगने के लिए वे सक्षम है अगर उन अधिकारो पर अकुश लगा दिया गया, अगर उन अधिकारो को रोका गया, तो उससे ही बगावत होने की संभावना हो सकती है और उनको जब उनके अधिकार विशेष रूप से नही मिलेंगे तो उनको उकसाने वाले, प्रोत्साहन देने वाले, उत्तेजना पहुंचाने वाले बहुत से लोग इस देश मे मौजूद हैं। विशेष रूप से इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून और नियम बनाने चाहिएं जो वहां के निवासियों की मनोवांछित कामना को पूरी कर सके, वहां के लोगों में उससे उत्साह भी होता और भारतीय युनियन के प्रति उनका लगाव अधिक अच्छा होता, अगर उनको अधिक अधिकार मिल जाते।

श्रीमन्, मैं एक बात और निवेदन करूंगा। जहां पर सोशल कस्टम्स का प्रश्न है वहां पर मणिपुरी लोग इस बारे मे बहुत प्रसिद्ध है लेकिन मणिपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर पहाड़ी जातियों के सोशल कस्टम्स विशेष रूप से रोचक है। तो उसके बारे मे एडमिनिस्ट्रेटर के अन्तर्गत इस प्रकार की कौसिल बनानी चाहिए थी जो पहाड़ी इलाकों का डेवलपमेट करने के लिए, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति का समय-समय पर विकास करती, उनके लिए अधिक क्षेत्र खुला होता, ताकि वे अपनी संस्कृति को भारतवर्ष के अनेक स्थानों मे प्रदर्शित करते। उसके बारे में यह बिल बिलकुल मौन है और कौसिल को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जा रहे है और उन पहाडी इलाकों मे जो सारी डिस्ट्रिक्ट कौंसिलें बनेगी उनकी भी एक बडी बाडी बनाना चाहिए था, उनका एक संयुक्त तंत्र बनाना चाहिए था जिसके द्वारा वे सब काम हो सकते लेकिन इस प्रकार की कोई युनाइटेड बाडी नही है। उस बाडी के न होने की वजह से उन लोगों को अपने विकास के लिए पूरी तरह से व्यापक क्षेत्र नही मिलेगा और उसके कारण वे हमेशा गतिरोध पैदा करने के लिए बराबर बगावत करते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हू कि उन सब कठिनाइयो को दूर करने के लिए अगर आदरणीय मन्त्री जी इन सब बातों का इसमें समावेश या समाधान कर सकते तो बड़ा अच्छा होता।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार): माननीय डिप्टी चेयरमैन महोदय, मै इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मणिपुर की जो 10 लाख की आबादी है, उसमें करीब एक-तिहाई भाग जो शिड्यूल्ड ट्राइब्स—जैसे कूकी है, नागा हैं, माउ है, पैते है, इत्यादि—उनकी अभिलाषाओ की इस विधेयक के जरिए पूर्ति हुई है यद्यपि मै चाहता था कि जब मणिपुर को स्टेटहुड मिल रहा है तो जो प्रान्तीय असेम्बली बनने वाली है उसमें उनकी 60 सीटें है जिसमे 19 सीटे हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स् को और एक सीट शेड्यूल्ड कास्ट को मिलने वाली हैं, वह

हो जाता। वर्मा जी ने भी जिक्र किया, माना कि असेम्बली से सब कुछ हो सकता है, लेकिन यह बीमारी और फैलती जाएगी। और अतीत में जो आसाम की डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनी थी तो उसके बाद आसाम का टूटना शुरू हुआ। अभी जो वर्मा जी ज्यादा अधिकार देने की बात कह रहे थे, उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ज्यादा चीखते-चीखते वह फिर ज्यादा होने लगती है। आपके यहां भी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और जिला परिषदें है और जिला परिषदों को कौन सा अधिकार दिया जाता है? असेम्बली में कानून बनते हैं और उन्हीं को उन्हें लागू करना होता है। अभी माननीय वर्मा जी ने कहा कि उन लोगों के दिलों में आशंका है, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो वहां के शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जो नागा लोग है, कूकी लोग हैं, माड़ हैं तथा और भी जो लोग हैं, उन सबकी इच्छा थी कि आसाम के पैटर्न पर हमें भी डिस्ट्रिक्ट आटोनोमस कौंसिल दी जानी चाहिये। हम लोगो ने और वहां पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन लोगों ने कहा कि यहां के लोगों को डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का अधिकार दिया जाना चाहिये ताकि वे लोग गांवों में अपने इलाकों का जो स्वायत्त शासन होता है अगर वह करना चाहते हैं तो वह अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिये। लेकिन मेरी राय यह है कि जितना इस विधेयक में अधिकार दिया गया है उससे ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिये, क्योंकि हम इसके अन्तर्गत रहते हैं, हमारे सूबे में 48 लाख के करीब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग है और अगर हम आसाम या मणिपुर की तरह नकल करने लगे तो हमारे बिहार के लिए खतरा पैदा हो जायेगा।

जहां हम समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद का जो निर्माण होता है वह विषमता को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा जो हमारे पददलित लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। अंग्रेजों ने 6,000 मील दूर से रह करके इन लोगों के अन्दर बिलगाव की नीति पैदा करने की कोशिश की, जबकि हमारी नीति उनको आज इकट्ठा करने की है। अंग्रेजों ने पादरियों को भेज कर और मिशनिरियों को उनके बीच में भेजा और उन्होंने वहां पर तरह-तरह के काम किये, लेकिन जो मणिपुर के रहने वाले है, आसाम के रहने वाले हैं, उनको उनसे दूर रखा जाता है। सरकार भी इस बात को मानती है कि जो वहां पर मिशनरी लोग हैं, वे तरह-तरह की बातें करते है, साजिश करते हैं और इस तरह से देश की सुरक्षा के लिए वे खतरे बने हुए है। मुझे तकलीफ तो इस बात की होती है कि जो आसाम के लोग है, जो जानकार लोग हैं, वे जानते है कि मणिपुर वाले चाहे वे नागा हों, चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के और जाति के लोग हों, उनका वंश एक ही है। वे नागा से क्षत्री बने हैं और क्षत्री से नागा बने है और इस तरह से उनका एक पुराना इतिहास है। मणिपुर का एक बहुत पुराना इतिहास है और वह पहिले एक अलग प्रान्त के रूप में रह चुका है। उसकी एक भाषा है चाहे शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नागाज, कूकीज, मांड, लुसाई, पैते, इनका डाइलेक्ट भिन्न-भिन्न है, आपस में मिलने और घर में बोलने की भाषा अलग-अलग है, लेकिन मणिपुर वालों की एक ही भाषा मणिपुरी है। यह जो लोग इस तरह की आवाज उठाते है, वे दूसरे सदन में उठाते है और मणिपुर के लोग नहीं उठाते है कि मणिपुर के नागा क्षेत्रों को नागालैंड में मिला दो। जो लोग इस तरह की बातें करते है वे असलियत को नहीं पहिचानते है। जब पंत जी ने इस सम्बन्ध में जवाब दिया था तो उन्होंने कहा था कि मणिपुर के जो लोग है उनकी संस्कृति एक है। यह जो लोग आपस में एक दूसरे के बीच में बिलगाव की भावना उठाते है, उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिये। जैसा अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट आटोनोमस कौंसिल होगी उन्हें अपना शासन, अपना इंतजाम करने का और स्कूल चलाने का अधिकार होगा। जहां तक स्टेटहुड का सवाल है, उसका बिल आने वाला है और लोक सभा में वह पेश भी हो चुका है। त्रिपुरा और मणिपुर वालों की इच्छा थी कि उन्हें स्टेटहुड दिया जाय और

[श्री शीलभद्र याजी]

सरकार ने उसकी इच्छा को कबूल भी कर लिया है, क्योंकि वहां के लोग इस तरह की बात चाहते है और तब ही इस तरह का विधेयक आने वाला है जिस पर मुझे अभी बोलना नही है। एक बात से मै सरकार को आगहा कर देना चाहता हूं कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट आटोनोमस कौसिल है, उनको जो ज्यादा अधिकार देने की बात उठाई गई है उनको ज्यादा अधिकार न दिया जाय। वर्मा जी वहां की परिस्थिति मे वाकिफ नही है, लेकिन अभी भी नागालैंड मे, मणिपुर मे, त्रिपुरा में, मेघालय मे एक विलगाव का तत्व है, उस तत्व से होशियार रहने की जरूरत है। उनकी असेम्बली आएगी जिसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव जाएगे। यदि ज्यादा अधिकार डिस्ट्रिक्ट कौसिल को देने की बात की गई, जिसकी कि उनकी तरफ से भी मांग हुई है, तो मै समझता हूं कि आइन्दा जब हम इस देश के 56 करोड़ बाशिन्दों को एक करना चाहते है समाजवाद मे, जिसमे ऊंच-नीच का और धर्म के आधार पर भेदभाव का विचार नही रहेगा, उस दिशा मे जाते हुए हमे इसमे कठिनाई आएगी। मुझको कटु अनुभव है आसाम का, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल आसाम की बन जाने के बाद फिर टूटी। जितना अधिकार दे रहे है, उससे ज्यादा अधिकार देने की जरूरत नही है। जब स्टेटहुड मिलेगा तो सारे अधिकार मिलेंगे ही।

मनीपुर बहुत पिछडा हुआ है। इसको श्री निरजन वर्मा जी ने प्रगतिशील कहा है। लेकिन मै कहता हूं कि बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। एक भी इंडस्ट्री नही है, एक भी कल-कारखाना नही है, रेल तक नही गई है। उनके दो मेम्बर है, उनकी आवाज नक्कारखाने मे तूती की तरह है।

श्री निरंजन वर्मा : मैंने सास्कृतिक दृष्टि से प्रगतिशील कहा है।

श्री शीलभद्र याजी : नाचना-गाना प्रगतिशील है तो नाचना जानते है, गाना जानते है, लेकिन वहां तरक्की का कोई साधन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नही है। जब स्टेटहुड मिल जायगा, खुदमुखतार हो जाएगे, तो मै समझता हूं कि वहा के लोग अपने क्षेत्र को सम्भालेगे। अभी तो भारत सरकार चाहे मेघालय हो, मिजोराम हो, नागालैंड हो, त्रिपुरा हो सबको रुपए देती है, उनका रेवेन्यू कुछ नही है, हमी लोग देते है। मै समझता हू कि सरकार आगे भी इसकी प्रगति की ओर ध्यान देगी तथा पहले की तरह रुपये देते रहेगे। इन शब्दो के साथ मै एक बार फिर इस विधेयक की ताईद करता हूं और मै माननीय मन्त्री महोदय से यह दरखास्त करूंगा और वर्मा जी से भी दरखास्त करूंगा कि जो उन्होंने विशेष अधिकार मागने की बात कही है, वे अपनी मांग को वापस ले और जिस रूप मे यह बिल आया है उसको पास करें। जय हिन्द।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हू। मुझे खुशी है कि बहुत दिनों से मनीपुर की स्टेटहुड की जो माग थी उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया। इस सम्बन्ध में एक दूसरा विधेयक अलग से लोक सभा मे है और वह शायद आज पास हो जायगा। मान्यवर, साधारणतया मै उन लोगो मे से हूं जो छोटी-छोटी स्टेट्स के बनाने के पक्ष में नही है; क्योकि बहुत छोटी स्टेट होने से उनका आर्थिक विकास होना कठिन हो जाता है और वह एक भार बन जाता है देश के ऊपर और केन्द्रीय सरकार पर। लेकिन चूंकि एक विशेष परिस्थिति थी इन स्टेट्स की, चाहे वे मिजो की हो, नागाओं की हो, चाहे मनीपुर की हो, मेघालय की हो, चाहे त्रिपुरा की हो, ये बार्डर स्टेट्स है और यह सही बात है कि वहां के जो पहाड़ी लोग है, वे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के है, उनकी अपनी कल्चर है, अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है, उनके अपने कस्टम्स है, जिनको वे कायम रखना चाहते है, उस दृष्टि से मै इसका स्वागत करता हू और मेरी शुभ कामनाए है कि वहां के लोग प्रगतिशील बने, यह जो नई स्टेट है इसकी प्रगति हो और वह अपने सारे कस्टम्स, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा को आगे बढ़ाने में कामयाब हों।

श्रीमन्, जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनी है, उस सम्बन्ध मे जो माननीय मन्त्री जी ने दो-चार शब्द कहे और जो याजी जी ने भाषण दिया उन दोनों मे काफी अन्तर दिखाई दिया। मै यह समझता था कि जब आप किसी स्टेट को स्टेटहुड देते है तो यह बात मान कर चलते है कि अधिक से अधिक शक्ति और अधिकार और ताकत वहा के नुमाइन्दो के हाथ मे होगी और याजी जी ने जैसा कहा कि उनको ज्यादा अधिकार दे देना खतरनाक होगा, तो आम तौर से गवर्नमेंट की तरफ से यह बात उनको नही कहनी चाहिए थी। क्योंकि उससे ऐसा आभास होता है कि हम उनके प्रति एक अविश्वास को लेकर चल रहे है। हमारे मन मे डर है कि उनमे कुछ लोग ऐसे है कि जो हिन्दुस्तान से अलगाव चाहते है या हमारे पास से हटना चाहते है। इसलिए उनको कोई ताकत नही मिलनी चाहिए। मै समझता हू कि यह अलगाव की बात जब पैदा होती है, जब कोई इसान बेबसी की हालत मे आ जाता है। अगर हम उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति के उत्थान की तरफ ध्यान देगे तो मुझे इस तरफ का कोई डर अपने दिमाग मे नहीं है, लेकिन एक बात मै जरूर मानता हू और मैं याजी जी से इत्तफाक करता हूं कि आटोनामी देते हुए भी हमारा जो सेंट्रल आइडिया है, जो अडरलाइग आइडिया है वह यह होना चाहिए कि उनका एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन हो, क्योकि जितने छोटे एरिया हम बाटते जाते है, उतनी ही सेपरेटिस्ट टेंडेसीज भी बढती जाती है। तो इस तरफ ध्यान रखना चाहिए कि आटोनामी दी जाय, लेकिन आटोनामी के साथ-साथ उन सबका एक इंटीग्रेशन भी हो जैसा याजी जी ने कहा कि वहा दस लाख की आबादी है, जिसमे 2/3 शेड्यूल्ड ट्राइब्स है।

श्री शीलभद्र याजी एरिया 2/3 है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1/3 है।

श्री नवल किशोर : ठीक है, 1/3 उसके अन्दर शेड्यूड ट्राइब्स है, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि जब वह दूसरा आसाम के पुनर्गठन का बिल आयेगा तो उसमे मणिपुर के लिए 60 आदमियों की, मेम्बरो की असेम्बली बनाने की बात है। मुझे उम्मीद है कि उसमे उनकी आबादी के अनुपात से 1/3 सीटे उनको दे देगे, लेकिन मेरा कहना यह था कि उनके नाम कुछ भी हो, लेकिन जब उनका स्टाक एक है तो उनमे इनहैरेंट इंटीग्रेशन है और इसको बनाए रखने मे कोई दिक्कत की बात नही होनी चाहिए।

श्रीमन्, जैसा कि मैने कहा कि यह एक छोटा सा स्टेट आपने बनाया है और जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनायी है, उनका नाम तो आपने रखा है आटोनोमस, लेकिन जैसा कि वर्मा जी ने कहा, मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि आपने तो एडमिनिस्ट्रेटर को पावर्स बहुत दे दी है। हमारे यहा भी जो जिला परिषद् है, आप कह सकते है कि उसका तो मालामाल मे जाकर इतना डेवलपमेंट हुआ है, मगर जितनी पावर्स जिला परिषदो को है, आज वह पावर्स भी उनको आप नही दे रहे है। तो मै यह चाहता हू कि एडमिनिस्ट्रेटर की ताकतो की पृष्ठभूमि मे ऐसा महसूस न हो कि आप डिस्ट्रिक्ट कौंसिल को उसकी एक पपेट, एक कठपुतली बनाने जा रहे है। एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ मे काफी ताकते है और वह एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होगा सरकार की ओर से, तो एक तरफ तो आप कहते है कि हम उनको पावर्स दे रहे हैं, आटोनामी दे रहे है और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर को इतनी शक्ति दे रहे है कि कोई ताकत उनके पास, वहा की जनता के पास नही पहुचेगी। मै याजी जी से जानना चाहता हू कि जब स्कूलो को चलाने का अधिकार आप उनको दे रहे है तो अगर स्कूलो के मास्टरो के ट्रासफर का अधिकार भी कौंसिलो के हाथ मे रहे तो क्या हर्ज की बात है? सैनीटेशन है, अस्पताल है, वहा के स्कूल है यह सब प्रतिनिधियो के हाथ मे हो। क्योकि मन्त्री महोदय ने कहा था कि हम वहा लोकल बाडीज बनाने जा रहे है, तो जो लोकल बाडीज हमारे प्रान्तो मे है उनको जितने अधिकार है कम से कम उतने अधिकार देकर तो उनकी शुरुआत कीजिए। जब आपने उनको स्टेटहुड दे दी तो शक्ति भी देनी ही होगी। अब आप इस बात का इन्तजार करे कि वह कब

[श्री नवल किशोर]

काबिल होगे इसमे काम नही चलेगा। उनसे तो असन्तोष बढ़ेगा और बढता जाएगा।

श्री शीलभद्र याजी : आन ए प्वाइंट आफ इन्फार्मेशन। उन्होने हमसे पूछा है कि एडमिनिस्ट्रेटर हमने बना दिया, जिसका जिक्र वह कर रहे है वह होता है म्युनिसिपेलिटी मे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मे, वहां तो एडमिनिस्ट्रेटर से मतलब है, गवर्नर का गवर्नर के नाम से सब काम होता है, लेकिन उसके साथ-साथ ही वहा तो चीफ मिनिस्टर रहेगा, मंत्रिमंडल रहेगा और वहां का गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर कहलायेगा। यह एडमिनिस्ट्रेटर वैसा नही है जो लोकल बाडीज मे होता है।

श्री नवल किशोर : मेरी दिक्कत यह है कि हमारे याजी जी तो उस पार्टी के मेम्बर है, उनको सब पता रहता है कि वह गवर्नर होगा या क्या होगा। लेकिन गवर्नर तो आपका एक कान्स्टीट्यूशनल हेड होता है स्टेट्स के अन्दर और अगर यहा एक एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर है तो गवर्नर को वह पावर देने जा रहे है जो कि दूसरे स्टेट्स मे गवर्नर को पावर नही है।

श्री पीताम्बर दास (उत्तर प्रदेश) : याजी जी तो शायद वहा गवर्नर होकर नही जा रहे है ?

श्री नवल किशोर : पीताम्बर दास जी को शक यह है कि कही याजी जी गवर्नर होकर वहा तो नही जा रहे है तो मेरा कहना है कि उनका कोई गवर्नर होकर जाने का इरादा नही है। खैर, मेरे कहने का मन्शा यह था, श्रीमन्, मै यह कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कही एक ब्यूरोक्रेटिक सेट-अप न बन जाय, जिसमे नौकरशाही के अलावा और किसी के हाथ मे कोई ताकत न हो। यह बात सही है कि चूंकि यह बार्डर स्टेट है, इसलिये सरकार को भी इसमे सतर्कता बरतनी है। लेकिन वह सतर्कता इस तरह से अधिकारों को न देने से नही बनेगी वह तो जो बार्डर विजिलैंस है और जो आपकी दूसरी एजेंसीज है उनको मजबूत करने से काम बनेगा।

श्रीमन्, एक बात कह कर मै अपनी बात खत्म करता हू। इसके अन्दर जो अधिकार बोर्ड को दिये गये है, कौंसिल को दिये गये है, वह अगर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर है तब तो बात दूसरी है। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे है, एक बैकवर्ड एरिया मे और नीयत यह हो कि आहिस्ता-आहिस्ता और पावर्स देंगे तब तो ठीक है, एक्सपेरिमेंट कीजिये, हमारी शुभकामनाये आपके साथ है। लेकिन जैसा कि वर्मा जी ने कहा कि सभी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मे 18 आदमियों के चुने जाने की बात है, मगर जो मैने पढा है उससे यह मालूम होता है कि 18 से ज्यादा संख्या नही होगी, लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल जो बनेगी उनमे चुने हुए लोगो की संख्या 18 से ज्यादा नही होगी, तो मुझे उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के एरिया को और उसके पापुलेशन को देख कर यह संख्या वर्क-आउट की जायेगी . . .

श्री शीलभद्र याजी : और दो नामिनेटेड होगे।

श्री नवल किशोर : जी हा, 20 मैक्सिमम हैं। तो मेरा कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल चुनी जायगी, जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल बनेगी, उसमे इस बात का ध्यान रखा जायगा कि उनकी आबादी और उनके क्षेत्रफल के आधार पर उनकी मेम्बरशिप निर्धारित की जायगी, ऐसी मुझे आशा है।

मै इसमे और ज्यादा कहना भी नही चाहता। जैसा कि कहा गया कि कुल दस लाख की आबादी है और हमारे यहा तो एक तहसील की आबादी दस लाख की होती है, तो उसके हिसाब से इतनी छोटी स्टेट बनाई गई है। लेकिन मुझे यह कहना है कि बहुत दिनो से दिल्ली के हमारे कुछ साथी है जो कि बार-बार सरकार से यह दरखास्त करते रहे है कि उनके यहा भी एक स्टेट बनाई जाय। वैसे जैसा कि मैने कहा मै छोटी स्टेट के फेवर मे नही हूं, बहरहाल वह स्टेट बनाई जाय या न बनाई जाय, लेकिन इतनी बात सही है कि आज दिल्ली मे बहुत सी एजेंसीज है, आज इस कदर मल्टीपिल अथारिटीज दिल्ली के अन्दर काम

करती हैं कि कंफ्यूजन वर्स कंफाउंडेड है, तो स्टेटहुड उसको भी देना चाहिये या नहीं इसको बाद में तय करें। लेकिन इतना तो जरूर करना चाहिये कि जो भिन्न-भिन्न अथारिटीज काम कर रही है उनको इंटिग्रेट करे और एक दो अथारिटी मे ही सारे मामले सीमित हो जाय तो यह बड़ी अच्छी बात होगी। वैसे जब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय की इतनी छोटी-छोटी स्टेट बना दी है तो दिल्ली की मांग को भी कहा तक रोक पायेंगे ? मै समझता हूं कि यह कहना बडा कठिन है।

श्री पीताम्बर दास : अगले इलेक्शन के बाद।

श्री नवल किशोर : आखिर स्टेटहुड के लिये दिल्ली की कौंसिल मे एक माग आई है तो मेरा कहना है कि जब आपने एक कदम इधर उठाया है तो दिल्ली की बात को भी आप सहानुभूति के साथ विचार करियेगा।

श्रीमन्, खैर मै ज्यादा बहस मे पड़ना नही चाहता, क्योंकि अभी यह देखना है कि यह स्टेट जो बनी है वह आगे चल कर कैसा काम करेगी और स्वयं मत्री जी ने कहा है कि इस तरह के बहुत से मेजर्स, बहुत से कानून आहिस्ता-आहिस्ता लोक सभा और राज्य सभा के सामने आयेंगे, आप स्वयं कहते है कि यह पहला कदम है, तो जो यह पहला कदम आपने उठाया है वह आपका मुबारक हो और आपके द्वारा मै कहना चाहता हूं कि मनीपुर की जनता को भी मुबारक हो और मै उनको अपनी शुभकामनायें देता हूं कि सही मामलों में जिस आदर्श और जिस नीयत से उन्होने यह मांग की थी वह उनकी नीयत पूरी हो सके और वह आगे बढ सके और यह जो 56 करोड़ की आबादी देश की है उसका एक अटूट अंग बन कर, उसका एक इंटीग्रेटेड अंग बन कर वह देश के साथ देश की प्रगति में सहायक बनेंगे।

श्री गोलाप बरबोरा (आसाम) : उपसभापति महोदय, सरकार कोई अच्छा काम करती भी है तो बहुत देर से और उस काम का जो फल लोगों को मिलना चाहिए वह आखिर तक मिलता नही और समस्या बढ़ती जाती है। मणिपुर के लोगों की काफी दिनो से मांग रही कि फुल-फ्लेज्ड स्टेटहुड उनको मिले, काफी उसके लिए लोगों को लड़ना पडा। आखिर मे जाकर सरकार अभी मणिपुर के स्टेटहुड के बारे में कोई एक बिल ला रही है, उसके पहले वहा हिल एरियाज के आटोनोमस कौसिल का यह बिल है। जैसा याजी जीने पहले कहा था कि यह आटोनोमस कौसिल मणिपुर का हो या पूरे आसाम इलाके का हो, इसमे बिखराव का आंदोलन बढ़ने का मौका है, सभावना है—यह याजी जी अभी बोले थे—लेकिन मेरा ऐसा विचार है कि ठीक समय पर लोगों को कोई अधिकार देने से बिखराव की भावना नही बढ़ती।

जब हमने आजादी के बाद अपना संविधान बनाया था तो आसाम के पहाड़ी इलाके के लिए शेड्यूल 6 में प्राविजन रखा और शेड्यूल 6 मे जो कुछ भी अधिकार पहाडी लोगो के लिए दिए गए थे, मै यह दावे के साथ कहता हूं कि लोगों को वे अधिकार वहां नही मिले। शेड्यूल 6 का पूरा अधिकार उस इलाके के सभी पहाड़ी लोगों को अगर मिलता तो शायद यह बिखराव की भावना उस इलाके में नही आती इसी लिए मेरा फिर से यह कहना है कि पहाड में रहने वाले सभी लोगों को अधिकार देने से कोई खराबी नही होनी है। लेकिन अगर वह अधिकार हम उन लोगो को ठीक समय पर न दें तो उसमे बिखराव का आंदोलन तेज होना है।

मणिपुर का बहुत छोटा सा इलाका है। मणिपुर का जो मैदानी इलाका है सिर्फ 700 वर्ग मील का है, और मणिपुर का पहाड़ी इलाका 8.000 वर्ग मील है। उस 700 वर्ग मील मैदानी इलाके में जो मणिपुर की कुल आबादी 10 लाख की है, उसके दो-तिहाई लोग रहते हैं और एक-तिहाई लोग 8,000 वर्ग मील पहाड़ी इलाके में है जो बहुत फैला हुआ है और उसमें बहुत से लोग ऐसे है जो शौक से वहां आए है। जहां तक ट्राइबल वैलफेयर की बात है, उसमें किसी को कोई एतराज नही होगा। जहां तक

[श्री गोलाप बरबोरा]

पिछड़ेपन का सवाल है, तो चाहे मणिपुर के मैदानी इलाके के लोग हों या पहाड़ी लोग हों, सब लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। इसी लिए मणिपुर को स्टेटहुड मिल जाएगी तो मणिपुर के डेवलपमेन्ट के लिए काफी कोशिश आपकी केन्द्रीय सरकार को करनी है और साथ ही साथ वहां का जो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके का डेवलपमेन्ट करने के लिए कुछ व्यवस्था आपको करनी है। लेकिन इस बिल में आप जो कुछ भी रखते हैं, मुझे इसमें शक है कि ऐसा करके वहा के लोग कोई आगे नही बढ़ पायेंगे। वैसे तो प्रशासन के विकेन्द्रीकरण की बात लोग करते हैं--हम लोग भी करते हैं, लेकिन आज हमने देख लिया है कि मैदानी इलाके मे, चाहे आसाम में हो, या हिन्दुस्तान के कोई भी प्रान्त में हो जो पंचायत या जिला परिषद् वगैरह है, उनको पूरा अधिकार नही है। बहुत कम जिला परिषद् के अध्यक्ष ऐसे होंगे, बहुत कम ब्लाक एरिया के ऐसे अध्यक्ष होंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर हैं या एग्जीक्युटिव आफिसर या प्रोजेक्ट आफिसर वगैरह है, उन लोगो के विरोध में कोई काम कर सकता है। तो यह जो पैरेलल गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्ट्स का और निर्वाचित प्रतिनिधियों को चलाने का जो तरीका है, यह हमने देख लिए हैं कि मैदानी इलाके में भी कभी कामयाब नही हुआ है। मैदानी इलाके मे भी जो पंचायत की व्यवस्था है, उस पंचायत को भी अधिकार नही है और ऐसी हालत मे मणिपुर के पहाड़ी इलाके में जो आप ये कौंसिल बनाते है उसमे हम देखते हैं कि पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर की पावर बहुत ज्यादा है और यह एडमिनिस्ट्रेटर इस बिल में रखने में मुझे एक और शक होता है कि जो दूसरा बिल ला रहे हैं मणिपुर की स्टेटहुड के बारे में, वह स्टेटहुड मिलने के बाद भी मणिपुर के लोगों को कहां तक डेमोक्रेटिक रिप्रेजेन्टेशन मिलेगा ? वैसी अगर कोई चीज है और मणिपुर को स्टेटहुड मिल जाने के बाद जल्दी चुनाव करके कोई सरकार बनाने का इरादा अगर सरकार का है तो इस बिल में एडमिनिस्ट्रेटर साहब को रखने की कोई जरूरत नहीं थी और एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ मे काफी पावर है। जो कौंसिल है उसमें 18 तो इलेक्टेड मेम्बर होंगे और दो नामिनेटेड होंगे और साथ ही साथ एग्जीक्युटिव आफिसर भी रहेगा। जिन लोगों को नामिनेट किया जायेगा वे एग्जीक्युटिव आफिसर की मर्जी पर काम करेंगे। एग्जीक्युटिव आफिसर कौन लोग होंगे ? वे भी हम देखते हैं कि इस तरह के लोग होते हैं जिन लोगों को पहाड़ी लोगों की संस्कृति के बारे में, उनके जीवन के बारे में कोई खास जानकारी नही होती है। उनको न उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में कोई दिलचस्पी होती है और न वे इस ओर ज्यादा ध्यान ही देते है। अगर आप इस बिल के अन्तर्गत वहा के पहाड़ी लोगों को अधिकार देते तो बहुत अच्छा होता। फिर भी मैं साधारण तौर मे इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI E. M. SANGMA (Assam): Mr. Deputy Chairman, I fully appreciate the intention of the Government of India for it has come forward to give District Councils in the Union territories of Manipur. I do not have so much knowledge about Manipur as Mr. Yajee has but as I had stayed in Manipur for a number of days last year, I could learn something about Manipur. Now the main question is about giving Councils to the hill areas of Manipur, the hill areas which are around the plain area of Manipur where a bigger number of population resides. I have gone through the Bill and I find that this will go all right to start with. That much I can say that it will be all right to start with, but what I could parsonally learn from the people of Manipur—as Scheduled Tribes they are—that they are not satisfied with the present administration in Manipur. This can be compared to the State of Assam. The undivided State of Assam is composed of several tribes. Now the state of Assam has been sliced into many pieces. One part has become Nagaland, the other one will become Mizoram Union Territory, then there is Meghalaya which is my District. Then Garo Hills and Khasi and Jaintia Hills will become a fullfledged State where the people belonging to the Scheduled Tribes live. I do not know whether by giving the District Councils full satisfaction can be given to the people, to the Scheduled Tribe people living in the Hill Areas of Manipur. Satisfaction can be given only when

full autonomy to the maximum extent possible is given to them to function as they like at least for their developmental activities, for their educational facilities and such other things like service facilities etc.

When I go through this Bill, I find that the functions of the District Council as envisaged in this Bill, are, according to me, not so very satisfactory. In our districts in Assam, now in Meghalaya, Mikir and Cachar hills and in Mizoram, the Councils have wider scope for running the administration by the District Councils but even then the people living in these areas did not feel satisfied and demanded vehemently separate States. Now we are having Meghalaya for our Garo, Khasi and Jaintia Hills and Mizoram will be getting a Union Territory and NEFA is excluded from Assam. So I appeal to my fellow tribals living in the Union Territory of Manipur that when they get this District Council for themselves they must feel satisfied and do things for themselves without fear or favour and be absolutely free from corruption because my sad experience in my District Council is, corruption has become a dominant feature by the District Council authorities taking advantage of their own administration, and the backwardness of their people, thereby hampering our progress to a great extent. It is now about 19 years since we have had District Councils in our districts but the condition of the people still remains the same because of corruption. We will be getting now Meghalaya State and there again corruption is still being committed by our own tribals. So my appeal to the tribals in Manipur is that when they get the District Council for themselves they should be free from corruption. They must absolutely aim at development activities for their children and it is my appeal to the tribals in Manipur and I do hope they will proceed like that. With these few words, I also accept and support this Bill.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : The Bill envisages the creation of autonomous districts and the object appears to be that there should be further extension of autonomy. If that is the intention, then we will have to see to what extent the autonomy has been extended I do not like to take your time, I find there are three tiers : that is, at the top there is the Administrator, then there is the Executive Officer and then there is the District Council. The District Councils, so far as the functions and purpose for which they are meant, have got only advisory capacity. They can merely give certain advice and whether it is acted upon or not depends on the Administrator on the one hand and the Deputy Commissioner on the other. I do not know what is the relation between the powers of the Deputy Commissioner and the Administrator. You will find that any proposal for taxation cannot be imposed unless it has the previous sanction of the Administrator. Even if a decision has been taken by the Council at a specially convened meeting for adoption or abolition of any tax, it cannot be implemented unless the previous approval is there from the Administrator. Again I find the Executive Officer who is the main executive body is not responsible to the District Council. He is responsible, by virtue of his appointment, to the Administrator, So there is no executive power for the Council. Again I find the Deputy Commissioner has the right even to issue instructions in the matter of preparation of syllabus, textbooks for the schools etc. It says :

"The Deputy Commissioner shall have the power to give to any District Council all such directions as he may consider necessary in respect of subjects, curricula, textbooks and standards of teaching in schools vested wholly or partly in the Councils ; and in schools wholly or partly maintained by grants payable from the Council Fund and the Council shall comply with such directions."

So even in the matter of educational curriculum, even in the matter of selecting textbooks or subjects to be taught in the private schools the power is vested in the Deputy Commissioner. Therefore my objection is, this is not an extension of autonomy ; it is a misconceived idea of extension of autonomy. I should be allowed to say that this is an extension of the ruling party there so as to fan out and extend their power to the hill region. That is the only purpose and that purpose can be fulfilled by this Bill by extending the power of the ruling party to the far-flung hill areas.

SHRI F. H. MOHSIN : I am very much thankful to the Members who have taken part in this debate. At the outset I must say that this Bill has been modelled on the lines of the Territorial Council Act of 1956 and many of the provisions from that Act have been taken into this Bill. Hon. Members have laid stress

[Shri F. H. Mohsin]

on the powers of the Administrator, and the appointment of the Administrator. The Administrator will be appointed under the provisions of Article 239 of the Constitution. That provision is:

"Save as otherwise provided by Parliament by law, every Union territory shall be administered by the President acting, to such extent as he thinks fit, through an administrator to be appointed by him with such designation as he may specify."

SHRI GOLAP BARBORA: It is going to be a State.

SHRI F. H. MOHSIN: Manipur is going to be a State; that Bill is coming afterwards. Further on article 239 says:

"Notwithstanding anything contained in Part VI, the President may appoint the Governor of a State as the administrator of an adjoining Union territory, and where a Governor is so appointed he shall exercise his functions as such administrator independently of his Council of Ministers."

SHRI CHITTA BASU: Council of Ministers?

SHRI F. H. MOHSIN: That is the provision of the Constitution.

SHRI CHITTA BASU: The Governors act on the advice of the Council of Ministers and in this case that advice....

SHRI F. H. MOHSIN: The Administrator is appointed under article 239 and that I have read out. Hon. Members have spoken about the vast powers that have been given to the Administrator, the Deputy Commissioner, Chief Executive Officer and so on. I would only say that the elected representatives of those areas, the hill areas and the valley, who are there in the Lok Sabha have supported the provisions of this Bill. They have not suggested any curtailment of these powers; they are quite happy with the provisions as they are. In fact this has been drafted in consultation with those representatives and this Bill was passed in the other House as was drafted earlier except for a small amendment by which the nominated Members in clause 4 were reduced from four to two and the elected Members were raised from 16 to 18. With this small amendment the whole Bill was accepted by the Members representing that area; especially when the Members who represent the tribal people wholeheartedly supported this Bill and I do not find any reason why there should be...

SHRI GOLAP BARBORA: Because of the party.

SHRI F. H. MOHSIN: In fact the Bill has been drafted in consultation with the leaders of the hill area and I must say that the provisions that are contained here are quite up to the expectations of the people of the hill area. As I have already stated, another Bill conferring Statehood on Manipur and Tripura and reorganising Assam conferring Statehood on Meghalaya and creating Union territories of NEFA and Mizo Hills will soon be coming up here.

I may briefly refer to the important provisions of this Bill. Clauses 14 and 22: they are just similar to the former Act, that is, the Territorial Councils Act, 1956. Also Clauses 23 to 26. They deal with the appointment of the Chairman, the Vice-Chairman and the members, and other matters. They are also taken from the Territorial Councils Act. Clause 29 is a very important clause in this Bill, Sir. It provides for all the functions of the District Councils, and I might draw the attention of hon. Members to sub-clause (2) of this Clause which reads—

"It shall be competent for a District Council to recommend to the Government of the Union territory of Manipur legislation relating to the following matters in so far as they concern members of the Scheduled Tribes, namely.—

(a) appointment or succession of Chiefs;

(b) inheritance of property;

(c) Marriage and divorce; and

(d) Social customs."

SHRI CHITTA BASU: Only four subjects.

SHRI F.H. MOHSIN : Yes. After all, this is not a legislative body. These are all District Councils but yet these powers have been given to the District Councils to recommend legislation as regards these four subjects. So, this goes a long way in giving more powers to the District Councils.

SHRI CHITTA BASU : I raised a point about the condition laid down for the prior approval of the Administrator.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No interruptions please.

SHRI CHITTA BASU : Just a clarification. It is laid down that the District Councils may by a resolution recommend something in respect of some subjects. Does it also require the prior approval of the Administrator or the Deputy Commissioner ?

SHRI F. H. MOHSIN : Yes, of course, if the rules provide as such ; they also, but these provisions have all been drafted in consultation with the people from that area.

DR. BHAI MAHAVIR (Delhi) : It would be good if they are called to help the Minister in explaining why these have been provided for.

SHRI F. H. MOHSIN : Members said that the Chief Executive Officer also is a very powerful officer under this Bill. I may draw the attention of hon. Members to sub-clause (2) of clause 32 which reads as follows :

> 'If a resolution for removal of the Chief Executive Officer is passed at a meeting of the District Council by a majority of not less than two-thirds of the total membership of the Council, the Administrator shall remove him forthwith."

So, this power is given to the District Council. If they pass a resolution by a two-thirds majority and recommend it to the Administrator, I think the Administrator will take a very serious view of such a resolution and will take action on that.

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : मैंडेटरी तो नहीं है ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It is mandatory, and he shall be removed forthwith.

श्री मान सिंह वर्मा : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया । आखिर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के अधिकार में क्या रह गया, उसने जो रिकमेंडेशन की उसको एडमिनिस्ट्रेटर माने या न माने, उसके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, तो फिर उसका अधिकार क्या रह गया ? उसकी आटोनोमस पावर कैसे हो गई ?

SHRI F. H. MOHSIN : All the functions of the District Councils are mentioned in Clause 29, and the hon. Member may go through Clause 29 wherein all the functions have been mentioned in this Clause 29.

MR. DEPUTY CHAIRMAN ; The people of that area are satisfied with whatever powers have been given under this Bill.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : I would like to know who will foot the bill because, after all, these District Councils, etc., they all involve expenditure. Will they stand on their own legs ? Will their revenue accrue to the extent of footing their bill ? If there is a deficit, who will meet that deficit ?

SHRI F. H. MOHSIN : The power has been given to the District Councils to levy taxes, and they would levy taxes also.

SHRI MAHAVIR TYAGI : Will they levy taxes with which to meet all their expenditure ? In that case they will stand on their own legs. I want to know whether financially there will be a deficit in these District Councils, and if there would be a deficit, will that be met by the State Government and/or by the Central Government.

SHRI F. H MOHSIN : Anyway, I can say that these may not be economically viable units and some assistance will have to be given at the State level and at the Central level also. They will be given Statehood but I do admit that they will not be economically viable units and assistance may have to be given at all stages. After all, I may say that this is a step in the right direction giving more powers to the hilly areas, so that they can take an active part in the developmental activities of their own

[Shri F. H. Mohsin]

tracts. The hilly areas will be divided into not more than six districts and each district will have a District Council. I do hope that the people in that part will play a greater role in the development of the hilly areas to the satisfaction of the people at large. I commend the Bill for the acceptance of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to provide for the establishment of District Councils in the Hill Areas in the Union Territories of Manipur, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 to 53 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI F. H. MOHSIN: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

SHRI CHITTA BASU: We can adjourn now.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS/संसदीय कार्य-विभाग में राज्य मंत्री (SHRI OM MEHTA): The Minister is busy in the other House and after that he would be coming here immediately. He will make a statement in this House also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Till that time we can continue with this business.

THE ASIAN REFRACTORIES LIMITED (ACQUISITION OF UNDERTAKING) BILL, 1971

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES/इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (SHRI SHAH NAWAZ KHAN): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the acquisition of the undertakings of the Asian Refractories Limited for the purpose of augmenting supplies of refractories to meet the essential requirements of the iron and steel industry as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The need to acquire this plant has arisen out of the fact that the total production of refractories in the country is inadequate and insufficient to meet the essential requirements of the iron and steel industry in the country. This plant was acquired by a Presidential Ordinance to augment the supplies of refractories and to speedily bring it into operation. It has been closed since June, 1968. It is also proposed, at a later stage, to expand the existing capacity. This Bill seeks to replace the Ordinance and, with your permission, I would like to place before the House some more details regarding its acquisition and also the background leading to it. The Asian Refractories have a licensed capacity of approximately 30,000 tonnes per year. They went into commercial operation in 1966, but due to certain reasons they incurred heavy losses and they had to close down. For starting this plant they had to borrow a substantial amount from the Industrial Finance Corporation. As on December, 1970 the outstanding dues from this company were of the order of about Rs. 80 to Rs. 82 lakhs. Sir, since this plant was not functioning very satisfactorily certain creditors went to the court and wanted it to be auctioned. The court permitted and an offer of about Rs. 70 lakhs was made. Later on the United Bank, from whom they had taken the loan, also went to the court and sought their permission to secure higher offer. The court gave them the permission and later on, the Eastern Spining Mills offered Rs. 78 lakhs. The Eastern Spinning Mills is one of the Birla concerns....

SHRI JOACHIM ALVA (Nominated): Where did they get so much money from?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, section 26, they could not be allowed to take over this plant. In the meantime tremendous shortage of refractories we felt. We